

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 संत्र

विनिक वर्षा सूची

गुरुवार, दिनांक 27 मार्च, 2003 (वैत्र 6, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर संखा आना

(1) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्स्टाइल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (म.प्र) का ३० वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त ३१ मार्च, 2001) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा-४० की उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का २३ वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे।

(4) चीधरी राकेश सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा ३७ की उपधारा (२) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा ३५ की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (१) के आधीन ध्यान आकर्षण

(1) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरक्त अतिथि व्याख्याताओं को सम्मुखित मानदेय न दिये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वेशी पी.सी. शर्मा, बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, ढंकीर स्थित एक ज्ञापनी कंपनी द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री मुशीलाल, सभापति, लोक लेखा समिति का २५४ वां से ३०७ वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सोनेराम कुशलाह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम गुदा आसन के मजरा कांसपुरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने;

(2) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कुठरावर एवं ग्राम पंचायत लसूडलूया रामनाथ को मिलाकर नगर पंचायत बनाये जाने;

(3) श्री बुजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) गोरस-पारीन मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने; तथा

(ख) श्योपुर नगर स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम.एस-सी. की कक्षाएं प्रारंभ कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित
समय

६. शासकीय विधि विचारक कार्य

(१) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश भूमि सुधार योजना (निरसन) विधेयक, २००३ (क्रमांक १९ सन् २००३) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(२) श्री मानवेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (निरसन) विधेयक, २००३ (क्रमांक २० सन् २००३) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(३) श्री सुभाष कुमार सोजातिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जॉन (स्पेशल प्रोविजन्स) विधेयक, २००३ (क्रमांक २१ सन् २००३) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

३० मि.
(४) श्री बिलाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, २००३ (क्रमांक १२ सन् २००३) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

३० मि.
(५) श्री हरवंश सिंह, बन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काष्ठ विरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, २००३ (क्रमांक ११ सन् २००३) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

३० मि.
(६) श्री डोमनसिंह नगपुरे, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २००३ (क्रमांक १३ सन् २००३) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

१ घन्टा
(७) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, २००३ (क्रमांक १४ सन् २००३) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

३० मि.
(८) श्री बाला बच्छन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धूम्रपान निषेध विधेयक, २००३ (क्रमांक १५ सन् २००३) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

१ घन्टा
(९) श्री राजा पटेरिया, तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विभिन्नियालय (संशोधन) विधेयक, २००३ (क्रमांक १६ सन् २००३) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :
दिनांक : २६ मार्च, २००३

डॉ. प.के. पट्टारी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विचार सभा